मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
अधीक्षण अभियंता(एम.पी.सी./प्रशिक्षण)
कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता–एक
पो.ऑफिस–सारनी जिला–बैतूल(म.प्र.)

Email:-setrgmpcstps@gmail.com फेक्स न. ;07146-278459 / फोन न. 278459

क्र. 505–0103/अ.यं.(प्रशि)/३१२ सारनी दिनांकः–17/12/2019

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) हेतु आवेदन

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड जो म.प्र. के राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी है, जिसका कार्यालय मुख्य अभियंता (उत्पादन) म.प्र.पा.जन.कं.लि. सारनी, जिलाः– बैतूल में स्थित है, द्वारा म.प्र. के मूल निवासी अभ्यार्थियों के लिये जिन्होने आई.टी.आई. (एन.सी.व्ही.टी./एस. सी.व्ही.टी.) ट्रेडः– फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, ड्राफ्टमेन (सिविल), वायरमेन, टर्नर, इन्सटूमेन्ट मैकेनिक, डीजल मैकेनिक से उत्तीर्ण की है तथा इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलीटेक्निक कॉलेज से डिग्री एवं डिप्लोमा ब्रॉच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स में उत्तीर्ण किया हो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत कुल रिक्तियॉ 209 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है।

नोटः–

01. ऑनलाईन आवेदन हेतु वेबसाईट www.apprenticeship.gov.in है, जिस पर दिनॉकः– 31.01.2020 की मध्यरात्रि (11.59) तक आवेदन स्वीकार किये जावेंगे ।
02. शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष तक रहेगी, जिसमें नियमानुसार स्टाईफंड देय होगा।
03. आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु दिनॉकः– 01.01.2019 को 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होना चाहिये एवं एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./दिव्यांग को आयु मे छूट शिक्षुता नियम (संशोधित) 2015 एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा।
04. उक्त रिक्तियों की संख्या परिवर्तनशील हैं तथा कम्पनी को रिक्तियॉ भरने या ना भरने का अधिकार रहेगा।
05. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./दिव्यांग हेतु आरंक्षण शिक्षुता नियम (संशोधित) 2015 एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा।
06. विस्तृत विवरण उम्मीदवार कम्पनी की वेबसाईट– http://mppgcl.mp.gov.in/careers.html पर आई.टी.आई. अभ्यार्थी तथा वेबसाईट–www.mhrants.gov.in पर ग्रेज्युएट/टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अभ्यार्थी देख सकते है अथवा कार्यालय अधीक्षण अभियंता (प्रशिक्षण) म.प्र.पा.जन.कं. लि. सारनी जिलाः– बैतूल में कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते है।

''बिजली की बचत करें''

(डी.के.कश्यप)
अधी. अभि. (प्रशि.)
म.प्र.पॉ.ज.क.लि.सारनी

मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
अधीक्षण अभियंता(एम.पी.सी./प्रशिक्षण)
कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता—एक
पो.ऑफिस—सारनी जिला—बैतूल(म.प्र.)

Email:-setrgmpcstps@gmail.com फेक्स न. ;07146-278459 / फोन न. 278459

क्र. 505—0103/अ.यं.(प्रशि)/३१२ — सारनी, दिनांकः—17/12/2019

अप्रेंटिस—रिक्तियों की उपलब्धता सह नियम एवं शर्ते

म. प्र. राज्य के शासकीय/अशासकीय मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक कालेजों एवं औघोगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आई.) से उत्तीर्ण अभ्यार्थियों से निम्नलिखित शाखाओं/व्यवसायों (ब्रॉच/ट्रेड) में एक वर्षीय (एक वर्ष) अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाईन आमंत्रित किये जाते हैः—

क्र.	शाखा	ग्रेज्यूएट अप्रेंटिस				टेक्निकल(डिप्लोमा) अप्रेंटिस			
		सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
01.	मैकनिकल इंजीनियरिंग	04	01	01	06	02	01	01	04
02.	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	03	—	01	04	02	01	—	03
03.	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	01	—	—	01	—	01	—	01
	कुल योग	**08**	**01**	**02**	**11**	**04**	**03**	**01**	**08**

आई.टी.आई. अप्रेंटिस

क्र.	व्यवसाय	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओ.बी.सी	विकलांग	कुल
01.	फिटर	24	08	10	07	01	50
02.	वेल्डर	12	04	05	04	—	25
03.	विद्युतकार	30	09	12	08	01	60
04.	मशीनिस्ट	07	02	03	02	01	15
05.	मनचित्रकार (सिविल)	04	02	02	01	01	10
06.	टर्नर	01	01	01	01	01	05
07.	उपकरण यांत्रिकी	04	02	02	01	01	10
08.	डीजल मैकेनिक	07	02	03	02	01	15
	कुल योग	**89**	**30**	**38**	**26**	**07**	**190**

प्रशिक्षण के लिए लागू नियम व शर्तेः–

01. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता – शासन के नियमानेसार संबंधित विषय में।
   (अ) ग्रेज्यूएट अप्रेंटिस – मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में डिग्री।
   (ब) टेक्नीशियन(डिप्लोमा) अप्रेंटिस – म.प्र. तकनीकी शिक्षण से मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में डिप्लोमा।
   (स) आई.टी.आई. अप्रेंटिस – शासकीय/अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से (एस.सी.व्ही.टी./एन.सी.व्ही.टी.) आई.टी.आई. उत्तीर्ण।

02. पात्रता –
   (अ) अभ्यर्थी किसी भी स्थापना संस्था में इससे पूर्व अप्रेंटिसशिप हेतू पंजीकृत हुआ हो तथा किसी भी संस्थान में एक वर्ष या अधिक समय तक कार्य न किया हो।
   (ब) अभ्यार्थी ने अपनी डिग्री/डिप्लोमा/आई.टी.आई. सत्र 2017, 2018 एवं 2019 के अन्दर उत्तीर्ण किया हो।
   (स) प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा/व्यवसाय में प्राप्तांकों की प्रावीण्य सूची (सी.जी.पी.ए.) मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जावेगा।

03. प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर म.प्र.पा.जन.कं.लि. द्वारा नियुक्ति देने की बाध्यता नही होगी।

04. ऑन लाईन आवेदन पत्र मे अपूर्ण/ त्रूटिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

05. ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.01.2020 है। निर्धारित प्रारूप में अधीक्षण अभियंता (प्रशिक्षण) सतपुडा ताप विद्युत गृह म.प्र.पा.जन.कं.लि सारनी, जिलाः– बैतूल (म.प्र.) के नाम से प्रेषित किया जावे।

06. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान कम्पनी के आवास रिक्त होने की स्थिति में उपलब्धतानुसार ही निर्धारित शुल्क आधार पर आवास सुविधा प्रदान की जावेगी।

07. ग्रेज्यूएट अप्रेंटिस को प्रतिमाह रूपये 9000/– (नौ हजार रूपये मात्र) एवं टेक्निशियन अप्रेंटिस को प्रतिमाह रूपये 8000/– (आठ हजार रूपये) तथा आई.टी.आई. अप्रेंटिस को प्रतिमाह रूपये 7000/– (सात हजार रूपये) भुगतान, शिक्षुवृत्ति के रूप मे किया जावेगा। (नोटः– दूसरे वर्ष में 10 प्रतिशत एवं तीसरे वर्ष में 15 प्रतिशत की वृध्दि देय होगी।

08. आवेदक को भारत सरकार के अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आवेदक अपना ई–मेल आई. डी. साफ एवं स्पष्ट अक्षरों में लिखे उसे समय–समय पर देखते रहे साथ ही साथ नीचे दी गई कम्पनी की वेबसाईट भी देखते रहे।

09. आवेदकों को ऑफर लेटर उनके ई–मेल आई.डी. द्वारा भेजे जाऐंगे अतः आवेदको से अनुरोध है कि वे अपना ई–मेल आई. डी. आवेदन करने से पहले बना ले जो कम से कम एक साल के लिये वैध हो।

10. अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./विकलांग के लिए आरक्षण अप्रेंटिसशिप एक्ट के प्रावधानो के अनुसार रहेगा।

11. किसी भी प्रशिक्षु के चयन /निरस्त करने का अधिकार बिना किसी कारण बतायें म.प्र.पा.जन. कं.लि. सारनी अपने पास सुरक्षित रहेगा।

12. आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक रहेगा। बैतूल, छिंदवाडा, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर जिले के रहवासियों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

13. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटना संबंधी बीमा कराना आवश्यक होगा, जिसकी पॉलिसी की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।

14. शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी की, चिकित्सा प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति 500 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध इत्यादि आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध करायें जाना आवश्यक होगा।

15. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी कम्पनी की वेबसाईट http://mppgcl.mp.gov.in/careers.html एवं Email.Id- setrgmpcstps@gmail.com तथा ग्रेज्युऐट/ टेक्नीशियन हेतु www.mhrants.gov.in पर भी उपलब्ध है।

16. आरक्षण एंव आयु में छूटः–

1 चयन प्रकिया में अन.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग तथा दिव्यांग आरक्षण नियम (सेशोधित) 2015 एंव राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा। (संलग्न–1) यदि अन.जाति/अ.ज.जा संवर्ग में निर्धारित संख्या में अभ्यर्थि उपल्ब्ध नही होते है उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में भरा जायेगा । तदोपरांत रिक्त रहने पर अन्य संवर्ग से भरा जा सकेगा।

2. शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष रहेगी ।

3. रिक्तियों की संख्या अनतिम है तथा समीक्षा के दौरन यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। इसके परिणााम स्वरूप विभिन्न वर्गो/श्रेणियो हेतु आरिक्षत पदों की संख्या भी पुर्नरीक्षित हो सकती है।

4. सभी वर्गों में अभ्यर्थिंयों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

5. सामान्य वर्गों के अभ्यर्थिंयों की अधिकतम आयु 25 वर्ष अन.जाति/अ.पि.वर्ग (नॉन–कीमी लेयर) के अभ्यर्थिंयों की अधिकतम आयु 25 वर्ष में 05 वर्ष एंव दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट रहेगी।

17. चयन प्रकियाः–

1 आर्हता सुनिश्चित करने के लिय विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों प्राप्त आवेदनों की छटाई की जावेगी । तत्पश्चात् ,म.प्र.पॉ.ज.क.लि.सारनी सारनी द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों की आई.टी.आई मे प्राप्त आंको के प्रतिशत के आधार पर योग्यता कम (मेरिट आधार) में चयन किया जावेगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों की अभ्यिार्थियो को प्राथमिकता दी जावेगी ।

आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जायेगा।

2. अभ्यर्थि केवल एक ही ट्रेड में आवेदन भर सकता है।

3. निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

18. स्टाईपेण्डः–

स्टाईपेण्ड महानिदेशक (ट्रैनिंग) तथा कौशल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशनुसार देय होगा जो वर्तमान में निम्नानुसार हैः–

1. ग्रेज्युऐट अप्रेंटिश –9000/– प्रतिमाह
2. टेक्नीशियन अप्रेंटिश –8000/– प्रतिमाह

3. आई.टी.आई. अप्रेंटिश–7000/– प्रतिमाह (शिक्षुता प्रशिक्षण के दुसरे वर्ष के दौरान विहित न्यूनतम वृत्तिका रकम में 10 प्रतिशत की वृध्दि होगी और (शिक्षुता प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के दौरान विहित न्यूनतम वृत्तिका रकम में 15 प्रतिशत की वृध्दि होगी)

19. चिकित्सा/स्वास्थ्य मानकः–

1. किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस जो कि जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है के आधार पर ही किया जावेगा।
2. दिव्यांग अभ्यर्थियों को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र जमा करना होगा। 40% अथवा उससे अधिक अक्षमता होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा । जोखिम पूर्ण ट्रेड को छोडकर अन्य ट्रेड मे दिव्यागों हेतु आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार दिया जायेगा।

20. आवेदन कैसे करें:–

1. अभ्यर्थि का वेबसाईट www.mhrants.gov.in पर पंजीकरण अनिवार्य है, यदि अभ्यर्थि ने पंजीकरण नही कराया है तो संलग्न –(III) में दी प्रकिया अनुसार पंजीकरण कर सकते है।
2. अभ्यर्थि पंजीकरण के उपरांत अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर "Estabishment Search" में जाकर कंपनी में उपलब्ध रित्तियों के अनुसार आवेदन करें, केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया संलग्न–(Iv) में है।
3. ऑनलाइन आवेदन हेतु दि.31.01.2020 की मध्य रात्रि तक आवेदन भे जायेगे। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे।
4. विस्तृत विवरण हेतु उम्मीदवार कंपनी की वेबसाईट www.mppgcl.co.in पर देख सकते है अथवा उपरोक्त कार्यालयों में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं।
5. पंजीकरण में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर जिला शिक्षुता अधिकारी तथा आवेदन में कठिनाई होने पर जिला शिक्षुता अधिकारी/संबंधित नोडल अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है, जिनकी जानकारी संलग्न –(v) में है।

21. महत्तवपूर्ण निर्देश एवं शर्तेः–

1. अभ्यर्थी कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि , शिक्षुता प्रशिक्षण के लिये योग्यता रखते है तथा उनके द्वारा दी गई जानकारियां सही है।
2. यदि चयन प्रक्रिया के दौरान भी समय यह ज्ञात होता है कि, अभ्यर्थी आर्हताओं को पूरा नहीं करते है और हमारी आवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते है। अथवा उन्होंने कोई भी जानकारी छुपाई है तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जावेगा एवं प्रशिक्षण समाप्ति जैसी सख्त कार्यवाही की जा सकती है।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग कृप्या अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरे चूंकि बाद में उनके द्वारा भरी गई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी।
4. यदि अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन में कोई परिर्वतन करना चाहते है, तो Edit my profile में जाकर परिर्वतन कर सकते है।
5. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही के निपटारे हेतु शिक्षुता अधिनियम 1961 एवं इसके संशोधन के प्रावधानुसार के आधार पर किया जावेगा।

6. अभ्यर्थी चयन हेतू म.प्र.पा.ज.कं.लि. सारनी द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
7. शिक्षुता अवधि में अभ्यर्थीयों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं 3 ऐच्छिक अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी।
8. दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियम 923 लागू होगा।
9. म.प्र.पा.ज.कं.लि. सारनी को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए, चयन प्रक्रिया को रद्द करने/सीमित करने/बढ़ाने का अधिकर होगा।
10. चयन न होने की स्थिति, में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।
11. अभ्यर्थी ध्यान रखें कि, शिक्षुता अधिनियम 1961 की कडिका 22(1) के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए है, नौकरी या रोजगार के लिए नहीं। प्रशिक्षण के उपरांत म.प्र.पा.ज.कं.लि. सारनी किसी भी अभ्यर्थी को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और नहीं इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।
12. शिक्षुता अधिनियम 1961 की कंडिका 2(1) एवं (2) के अनुसार प्रशिक्षण पूर्ण करने के तदपरांत कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसके बाद राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(डी.के.कश्यप)
अधीक्षण अभियंता (प्रशिक्षण)
म.प्र.पा.ज.कं.लि. सारनी